"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2017 — श्रावण 25, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-2/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2017/3258 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

1. अमित अग्रवाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2016, नगरपालिका परिषद् सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग.
2. मोहम्मद अख्तर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2016, नगरपालिका परिषद् सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग.
3. सूरज तिवारी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2016, नगरपालिका परिषद् सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 16 अगस्त 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 6-1-2017 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् सारंगढ़, जिला रायगढ़ के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2016 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 9 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), रायगढ़ ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 6 जनवरी 2017 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् सारंगढ़ के आम निर्वाचन दिसम्बर 2016 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीगण श्री अमित अग्रवाल एवं मोहम्मद अख्तर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 30 दिसम्बर 2016 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया गया है तथा अभ्यर्थी सूरज तिवारी ने निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिन की गणना के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों अमित अग्रवाल, मोहम्मद अख्तर एवं सूरज तिवारी को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों अमित अग्रवाल, मोहम्मद अख्तर एवं सूरज तिवारी को तामील की गई.

अभ्यर्थीगण अमित अग्रवाल एवं सूरज तिवारी को कारण बताओं सूचना तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थियों अमित अग्रवाल एवं सूरज तिवारी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उक्त अभ्यर्थीगण के विरूद्ध दिनांक 7-7-2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी मोहम्मद अख्तर ने अपना जवाब दिनांक 24-3-2017 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया. जिसमें यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30-01-2017 को निर्धारित समयावधि में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा किया था. जवाब के साथ पावती की छायाप्रति भी संलग्न की गई. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), रायगढ़ का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), रायगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 1300/स्था. निर्वा./न. पा./ व्ययलेखा/2017, दिनांक 15-6-2017 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी मोहम्मद अख्तर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जमा किया गया है, अत: अभ्यर्थी के जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अनुशंसा भी की गई है. अभ्यर्थी मोहम्मद अख्तर को उनके जवाब के पक्ष समर्थन हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 10 अगस्त 2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं हुए.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ से परिशिष्ट-छत्तीस में उल्लेखित निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 30-1-2017 के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई. जिसके संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक1328/स्था. निर्वा./न. पा./व्ययलेखा/2017, दिनांक 20-7-2017 में स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 29-1-2017 को रविवार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसके अगले दिवस दिनांक 30-1-2017 को अंतिम दिवस लिया जाकर 30 दिनों की गणना की गई है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ ने प्रतिवेदन में अभ्यर्थीगण अमित अग्रवाल एवं मोहम्मद अख्तर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना उल्लेखित किया. अभ्यर्थी सूरज तिवारी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जाना दर्शाया गया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा- प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना- अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 30 जनवरी 2017 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् सारंगढ़ के आम निर्वाचन दिसम्बर 2016 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों अमित अग्रवाल एवं मोहम्मद अख्तर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि के अंदर आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है. निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 30-12-2016 से 30 दिनों की गणना करने पर 29-1-2017 को अंतिम दिन होता है. चूंकि दिनांक 29-1-2017 को सार्वजनिक अवकाश था अत: दिनांक 30-1-2017 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल कर अभ्यर्थीगण अमित अग्रवाल एवं मोहम्मद अख्तर ने कोई त्रुटि नहीं की है. अत: उनके विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर इस बात का समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थीगण अमित अग्रवाल एवं मोहम्मद अख्तर द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षा के अनुरूप प्रस्तुत मान्य किये जाने योग्य है. तदनुसार अभ्यर्थियों अमित अग्रवाल एवं मोहम्मद अख्तर के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है.

8. अभ्यर्थी सूरज तिवारी प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययो का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी सूरज तिवारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 16 अगस्त, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.